

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

€, 267| No. 267| नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 2014/वैशाख 31, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 2014/VAISAKHA 31, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2014

सा.का.नि. 346(अ).— औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप, औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 13 जनवरी, 2014 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 16(अ), तारीख 13 जनवरी, 2014 में प्रकाशित किया गया था. जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैतालीस दिन की अवधि की समाहि के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, राजपत्र की प्रतियां जनता को 16 जनवरी, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है; अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनयम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शिक्यों का प्रयोग करते हुये, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नितिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 148-ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"148-ग प्रसाधन सामग्री का पथुओं पर परीक्षण का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति प्रसाधन सामग्री के परीक्षण के लिए किसी पथु का प्रयोग नहीं करेगा !"

> [फा. सं. एक्स-11014/7/2013-डीएफक्यूसी] अरुण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच(1) तारीख 21 दिसंबर, 1945 को प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, के उपखंड (i) में अधिसूचना कें. सा.का.नि. 153(अ), तारीख 5 मार्च, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

, New Delhi, the 21st May, 2014

G.S.R. 346(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 was published, as required by section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health & Family Welfare) number G.S.R. 16(E) dated the 13th January, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 13th January, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette of the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette were made available to the public on the 16th January, 2014;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (2nd Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, after rule 148-B, the following rule shall be inserted, namely:—
 - "148-C. prohibition of testing of cosmetics on animals.—No person shall use any animal for testing of cosmetics."

[F. No. X-11014/7/2013-DFOC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. F.28-10/45-H (1) dated the 21st December, 1945 and last amended by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 153(E) dated the 5th March, 2014.